न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :

श्री अजय कुमार आर्य,
(आर.ए.एस)

निगरानी संख्या 09/2022

1. रामसिंह बोला उम्र–69 वर्ष पुत्र खेताराम जाति निवासी वार्ड नम्बर–17 बोला की ढाणी तन मन्ड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझुनू बहैसियत सचिव श्री गोगा मेडी सेवा समिति मंड्रेला झुंझुनू राज०।

2. जयपाल सिंह उम्र 69 वर्ष पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 14, मंड्रेला, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू बहैसियत कोषाध्यक्ष श्री गोगा मेडी सेवा समिति मंड्रेला झुंझुनू राज०।

–निगरानीकार–

बनाम

1. गौरी शंकर उम्र–68 वर्ष पुत्र केदार मल जाति सोनी निवासी वार्ड नम्बर 25, मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझूनू राज०।
2. रमेशकुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र केदार मल जाति सोनी निवासी वार्ड नम्बर 25, मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझूनू राज०।
3. दीपक पुत्र श्री नन्दलाल उम्र 35 वर्ष जाति सोनी निवासी मकन नम्बर 668, वार्ड नम्बर 25, मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझूनू राज०।
4. गायत्री पत्नी श्री नन्दलाल उम्र 61 वर्ष जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 668. वार्ड नम्बर 25, मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझुनू राज०।
5. ग्राम पंचायत मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझुनू राज.।
6. अंशुल बोला पुत्र मेवासिंह बोला जाति जाट निवासी मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझूनू राज०।

–गैर निगरानीकारान–

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.08.2003 ग्राम पंचायत मण्ड्रेला।

उपस्थितिः–

1. श्री भँवर सिंह परमार, एडवोकेट..... निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अशोक कुमार, शर्मा, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।
3. श्री लोकेश, शर्मा, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 6 की ओर से।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

–निर्णय–

दिनांक : 31.12.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम मंड्रेला तहसील चिडावा जिला झुंझुनू में सार्वजनिक बगीची व मंदिर श्री गोगामेडी का स्थित है। जो सैकड़ो वर्ष पुराना है। इस मंदिर व बगीची की भूमि रियासत काल से ठिकाना खास जमात शेखावाटी द्वारा दी गई थी, जिसका विवरण खसरा आबादी मोजा मंड्रोला सम्वत 1988 सन 1931–32 में नम्बर शुमार 563 मोहल्ला बगीची हज्यावाली नाम ठिकाना पंचपाना उक्तदाता जमीन बगीची गुजर नाथ गुरु हेमा नाथ फकीर सा. देह के नाम मालिक के दर्ज थी उक्त बगीची का वरवक्त खसरा तैयारी 20854 वर्गगज इमारती गज था। उक्त बगीची व मंदिर का उपयोग सार्वजनिक रूप से कदीमी अरसा दराज से आम जनता करती आ रही है। उक्त गुजर नाथ की मृत्यु के बाद इस बगीची व मंदिर की देखभाल श्री गोमा मेडी सेवा समिति ग्राम मंड्रेला द्वारा किया जाता है समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा ही इसका विकास व उत्सव आयोजित किए जाते है, गत कुछ समय से भूमाफियों द्वारा उक्त बगीची व मंदिर को हडपने के कुत्सित प्रयास किये जा रहे है इसलिए मंदिर व बगीची को बचाने के लिए समिति ने सर्वसम्मति से दिनांक 20.6.2022 को प्रस्ताव पारित कर मंदिर व बगीची को बचाने हेतु कानूनी कार्यवाही हेतु समिति के मंत्री व कोषाध्यक्ष को कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है। बगीची व मंदिर की भूमि को हडपने के लिए गोरीशंकर, नन्दलाल, रमेश कुमार पुत्रान केदारमल जाति सोनी ने 65.6 गुणा 50.6 कुल क्षेत्रफल 367.52 वर्गगज का पटटा लेने हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर सरंपच ग्राम पंचायत ने साजिश के तहत नियम कायदा कानून के विपरित जाकर गैर कानूनी ढंग से जल्द बाजी करते हुये बैक डेट में एक ही दिन कार्यवाही कर फर्जी तरीके से उक्त व्यक्तियों को मंदिर की भूमि में से 367.50 वर्गगज का दिनांक 21.08.2003 को पटटा जारी कर दिया तथा उसको सही ठहराने के लिए दिनांक 20.04.2004 को प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर पटटे को नवीनीकरण करना कह कर उप पंजीयक चिडावा के यहां उक्त भूमि का विकय विलेख दिनांक 11.5.2004 को तैयार कर दिनांक 9.7.2004 को उप पंजीयक के यहां पेश कर दिया जो उप पंजीयक चिडावा के यहां दिनांक 9.7.2004 को सांय 4–5 बजे पेश कर दिया तथा उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 9.7.2004 को बुक नम्बर–1 वोल्यूम नम्बर 153 जिल्द सं 110 के पृष्ट संख्या 634 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1 वाल्युम संख्या 768 के पृष्ठ संख्या 73 से 77 पर दर्ज किया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर समिति के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर शिकायत श्रीमान कलेक्टर झुंझुनू को की गई। जिस पर जांच होने पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा गलत माना गया तथा भूमि पर अतिक्रमण माना गया किन्तु तत्पश्चात राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते पुनः रिर्पोट मंगवाई गई और बगीची मंदिर भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना बताकर कार्यवाही समाप्त कर दी गई इस स्थिति में प्रार्थीगण ने कानूनी सहायता लेना सही मान श्रीमान के न्यायालय में निगरानी पेश करना आवश्यक माना इसलिए ग्राम पंचायत मंड्रेला द्वारा पारित

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव सं.2 दिनांक 21.8.2003 के विरूद्व तथा गौरीशंकर, नन्दलाल, व रमेश कुमार सोनी को जारी पटटा दिनांक 21.08.2003 बुक नम्बर 63 कम सं 27 एवं प्रस्ताव स. 4 दिनांक 20.4.2004 बाबत पटटा नवीनीकरण के विरूद्व यह निगरानी अलावा दिगर वजूहात तथ्यों के आधार पर कर समुचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 5 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत मण्ड्रेला तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि निगरानीकार ग्राम पंचायत मण्ड्रेला का रहने वाला है। 300 वर्ग गज से अधिक पट्टा जारी करना ग्राम पंचायत मण्ड्रेला के क्षेत्राधिकार से बाहर नियम विरूद्व है। मौके पर उक्त विवादित जगह विविधीकरण दिखाया गया है जबकि उक्त विवाधित जगह वाणिज्यिक प्रोजनार्थ काम में ली जा रही है। उक्त विवादित भूमि में पट्टे से पूर्व मौके पर मकान नही है। प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 21.08.2003 व प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.4.2004 ग्राम पंचायत मंड्रेला बाबत पटटा दिनांक 1.08.2003 व पटटा नवीनीकरण विधि विधान एवं न्यायिक दृष्टांतो व प्राकृतिक कानूनी सिद्वान्तो व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व दस्तावेजो के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा प्राप्ति हेतु गौरीशंकर नन्दलाल व रमेश कुमार ने जो प्रार्थनापत्र पेश किया है वह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थीगण ने भूमि के कब्जे व स्वामित्व के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं किया है कि उक्त जमीन पर उनका कितने वर्षो से कब्जा है जमीन पडत है या गृह, मकान बना हुआ है तथा उसकी नाप व क्षेत्रफल कितना है तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुति की दिनांक भी अंकित नहीं है प्रार्थनापत्र किसके समक्ष प्रस्तुत हुआ उसके हस्ताक्षर भी नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत की कार्यवाही व प्रस्ताव निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुति के समय नियमानुसार देय स्थल निरीक्षण फीस 25 रूपये जमा नहीं कराये है तथा नक्शा फीस भी अदा नहीं की है। इसलिए प्रस्ताव व पटटा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र का नियमानुसार दर्ज रजिस्टर नही किया गया है और सचिव ने प्रार्थनापत्र को अन्दर मियाद ग्राम पंचायत की आगामी बैठको में भी स्थल निरीक्षण हेतु पंच नियुक्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है सर्वसम्मति से स्थल निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचो की नियुक्ति नही की गई है। ग्राम पंचायत ने भूमि का पटटा जारी करने के लिए नियमानुसार अस्थाई अन्तत्तिम निर्णय पारित नहीं किया है जो कि आवश्यक था। स्थल निरीक्षण पंचो की रिर्पोट नहीं होने के उपरान्त भी आपत्ति नोटिस जारी कर दिया नोटिस गैर कानूनी ढंग से जारी किया गया है नोटिस में डिस्पेच नम्बर नहीं है तामील कुनिन्दा ने नोटिस कहाँ किस तारीख को चस्पा किया दर्ज नहीं है गवाहो के नाम पिता का नाम पता दर्ज नहीं है गवाहो के कहा चस्पा

अति. जिला कलेक्टर
छोटी

Scanned with CamScanner

किया दर्ज नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व के बाबत कोई जांच नहीं की है और ना ही प्रार्थीगण ने अपना कब्जा 50–60 वर्ष पुराना होने बाबत कोई साक्ष्य पेश की है, बंटवारानामा भी पेश नहीं किया है, ग्राम पंचायत पुराने पटटा गृहों का नियम 157 ख के अनुसार विनियमितिकरण करने का पटटे मे अंकन किया है भूमि पर गौरीशंकर, नन्दलाल व रमेश कुमार का पहले से कोई मकान ही नहीं है, इसी पटटे मे ग्राम पंचायत यह अंकित किया है कि उक्त भूमि वाणिज्यक प्रयोजन हेतु दी गई है ग्राम पंचायत को नियमानुसार 200 वर्गफीट से कम भूमि कि 50–60 वर्षों से प्रार्थी के कब्जे में हो उसका ही पटटा देने का अधिकार है, 200 वर्गफीट से अधिक की भूमि निलामी द्वारा ही विक्रय की जानी चाहिये ग्राम पंचायत ने तो 376.52 वर्गगज का पटटा जारी कर दिया वह भी बहुत कम राशि मे जबकि वहां की बाजार दर लगभग 2000/– रूपये वर्गगज की थी। ग्राम पंचायत ने बाजार दर का भी निर्धारण नहीं किया। ग्राम पंचायत को मंदिर व बगीची की भूमि का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, पटटा मंदिर बगीची भूमि का जारी किया गया है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथपत्र अवैध व प्रभाव शून्य है कानूनन प्रत्येक व्यक्ति का शपथपत्र अलग अलग होता है प्रस्तुत शपथपत्र तीन व्यक्तियों ने सयुंक्त रूप से बिना अटस्टेड बिना तारीख के पेश किया है इस कारण पटटा खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि हस्तान्तरण के नियमो की अवहेलना करते हुये पटटा जारी किया, पटटा गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है। पटटा दिनांक 21.08.2003 बुक नम्बर–67 कम सं27 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन ही जल्दबाजी मे जारी किया है नियमानुसार मयाद अपील गुजर जाने के बाद जारी किया जाना चाहिए था पटटे की प्रति पंचायत समिति का प्रेषित नही की गई है जो नियमो के विपरीत है। वर्ष 2004 में पटटे नवीनीकरण का कोई नियम नहीं था ग्राम पंचायत ने पुरानी तारीखो मे फर्जी कार्यवाही करते हुये 21.08.2003 को पटटा जारी करना बताकर दिनांक 20.04.2004 को नवीनीकरण को आधार बनाकर पटटा जारी कर रजिस्ट्री करवाई है जो अवैध व प्रभावशुन्य होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं 3 व 4 मृतक नन्दलाल के वारिस होने से पक्षकार बनाये गये है। निगरानी हेतु मियाद निश्चित नहीं है प्रार्थीगण सार्वजनिक भूमि बचाने के लिए कार्यवाही करने का अधिकार रखते है इसलिए निगरानी पूर्ण न्यायशुल्क पर श्रीमान के श्रवणाधिकार में होने से पेश है।

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की है। दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया अत निगरानी खारीज की जावें। पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में दिवानी मूल वाद खारिज किया गया । विद्वान अधिवक्त गैर निगरानीकार संख्या 6

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

ने भी अपनी बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार के कथनों का समर्थन किया तथा निगरानीकार की निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर बगैर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को नियमानुसार नहीं बताया है। इस संबंध में रिकार्ड अदालत मातहत का अवलोकन किया, जिससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रकिया के अनुसार पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। निगरानीकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे है। ऐसे में हम निगरानीकार की निगरानी खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत मण्ड्रेला द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णया प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 21.08.2003 बसिलसिले पट्टा दिये जाने गौरीशंकर, नन्दलाल, रमेशचन्द पुत्रान केदारमल सोनी को यथावत रखा जाता हैं। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत मण्ड्रेला को फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Scanned with CamScanner